कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/40068–7734720/2a दिनांक–यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2025–26

सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 1 से 5 तक)

1	योजना का नाम एवं क्षेत्र	बांरा जिले के सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 1 से 5 तक)
2	योजना का उद्देश्य	सहरिया जनजाति के ऐसे परिवार जो पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। उन सहरिया परिवारों के छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे कि उनकी पढ़ाई का खर्चा ना बढ़े एवं उनकी पढ़ाई से परिवार पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।
3	परिभाषा	कक्षा 1 से 5 तक के जनजाति सहरिया छात्र–छात्राओं को स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4	आवेदन की प्रक्रिया	➢ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है। ➢ शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशियरी मोड्यूल में लोगइन करने पर बाईं ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के कक्षा 01 से 5 वीं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के छात्र/छात्राऐं का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होंगा। ➢ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी। ➢ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें। ➢ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्न प्रविष्टियाँ मैन्युअल की जानी है – 1. विद्यार्थी का पता 2. विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या 3. विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय ➢ बैंक इनफार्मेशन। ➢ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्चात् अप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें। ➢ शालादर्पण प्रभारी संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक करेगें। ➢ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे। ➢ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT बटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें।

		➢ विद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को जांचकर आवेदन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा।
5	देय लाभ	बारां जिले के सहरिया छात्र/छात्राएं को कक्षा 1 से 5 तक 1000 रू. प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष।
6	पात्रता	1. ऐसे सहरिया छात्र/छात्राएं जो बारां जिले के राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो। 2. बांरा जिले की मूल निवासी हो तथा सहरिया परिवार से हो। 3. छात्र/छात्रा के माता–पिता /अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता ना हो।
7	आवश्यक दस्तावेज	1. जाति प्रमाणपत्र। 2. मूल निवासी प्रमाण–पत्र। 3. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड। 4 नियमति अध्ययनरत प्रमाण पत्र
8.	तिथि विवरण	संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **30.09.2025**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान